"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2022—आश्विन 22, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री गोविन्दराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से (2003), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. पुलिस जवाबदेही प्राधिकार के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

श्री गोविन्दराम चुरेन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् सचिव, छ.ग. पुलिस जवाबदेही प्राधिकार के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, कौशल विकास विभाग को केवल सचिव, कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

4. डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कौशल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं आयुक्त, नि:शक्तजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं आयुक्त, नि:शक्तजन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं आयुक्त, नि:शक्तजन केवल सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं आयुक्त, नि:शक्तजन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत् रहेगा. तत्संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उनके पत्र क्र. 154/CGH/2022-P.Admn, दिनांक 25-08-2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

6. श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री भीम सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् के संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

8. श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, समान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं विमानन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण केवल मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

9. सुश्री संतन देवी जांगड़े, भा.प्र.से. (2016), उपायुक्त (राजस्व), कार्यालय संभागायुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, जिला रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

10. श्री सुखनाथ अहिरवार, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, जिला कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, जिला कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्री भगवान सिंह उइके, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, जिला कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, जिला कोरिया के पद पर पदस्थ करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 सितम्बर 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रस्तावित जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रस्तावित जिला-मोहला-मानपुर-चौकी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रस्तावित जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. ध्रुव, भा.प्र.से. (2013), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रस्तावित जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.) के पद पर पदस्थ करता है.

2. सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रस्तावित जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 1-1/2022/1-9.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (सेवा संघ) नियम 1967 के नियम-4 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निर्धारित जानकारी के आधार पर कैलेण्डर वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ, पंजीयन क्रमांक-41, आशीर्वाद भवन, वार्ड क्रमांक 41, केलाबाड़ी सुभाष नगर, दुर्ग (छ.ग.) को शासन से पत्राचार करने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 2022 तक अस्थाई अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मेरी खेस्स, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मई 2022

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-01-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022)" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

(एक) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

"ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 50,000 (पचास हजार) से अधिक की न हो."

(दो) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

"साधारणत: ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 50,001 से 3,00,000 (रुपये पचास हजार एक से रुपए तीन लाख) तक हो. इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है. इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा.

परंतु, वे परिशिष्ट-1 की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर/उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुएं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हों ऐसी वस्तुओं हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा."

(तीन) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

"इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये. निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :—

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य —

(1) रु. 3,00,001 से 5.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में.

(2) रु. 5.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में.

परन्तु, खुली निविदा पद्धति में प्रथम बार आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा."

(चार) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.4.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

"निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए. इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये. मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जायेगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है. जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये."

(पांच) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

निविदा पद्धति	अवधि/दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा पद्धति	15	10	5
खुली निविदा (रु. 3,00,001 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21	14	7
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	30	20	10
ग्लोबल निविदा	45	30	20

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी.

(छः) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.6.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी व्यवस्था—

(अ) निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जावेगा.

(ब) एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जाएगा.

(स) अमानत राशि (ईएमडी) वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा.

(द) ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) या ऑन-लाईन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी.

(सात) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी निर्देश :—

(अ) केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्में ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 1 (एक) प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) प्राप्त की जाये. यह अमानत राशि (ईएमडी) सफल निविदाकार की रोककर, शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए.

(ब) प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निदिवा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाये.

(स) इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी.

(आठ) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.7 के पश्चात् नवीन उपनियम 4.7.1 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—**

सुरक्षा निधि प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश :— निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये.

(नौ) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) के प्रकार :—

(अ) सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा.

(ब) निविदाकार को सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) चालान से निम्नलिखित लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, में जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा.

"8443 — सिविल जमा राशियां
103 — प्रतिभूति जमा"

(स) निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है.

(दस) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—**

क्रय की शर्तें :—

(अ) क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो.

(ब) राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने.

(स) निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावें.

(द) उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहां आवश्यक हो लिया जावे.

(ई) यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा.

(फ) निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो.

(ज) क्रयकर्ता अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में निविदा में अन्य उपयुक्त शर्त का समावेश कर सकता है.

(ह) निविदा प्रपत्र में प्रदायक/विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्टत: उल्लेखित किया जावे.

(ग्यारह) **उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.14 (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—**

पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना :— किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर/मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है.

यह भी कि परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) एवं परिशिष्ट-2 की वस्तु होने की स्थिति में "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो.

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/ "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6 (छः) माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है.

किन्तु, दर अनुबंध के 1 (एक) वर्ष + छः माह से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा.

(बारह) **उक्त अधिसूचना के नियम-5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—** महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें एवं वाहन की दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो, हेतु विभाग द्वारा ऐसे वस्तुएं जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी जेम वेबसाईट (Gem Website) में उपलब्ध हो, का क्रय आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Website) से सीधे क्रय कर सकेगा. किन्तु ऐसे क्रय के लिए क्रेता विभाग जेम वेबसाईट से संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा.

(तेरह) **उक्त अधिसूचना के नियम-5 के उपनियम 5.1 :—** विलोपित

(चौदह) **उक्त अधिसूचना के नियम-7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—** जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा. विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा. दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण, परिशिष्ट-1 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" व परिशिष्ट-2 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जावेगा.

(पंद्रह) **उक्त अधिसूचना के नियम-7 के उपनियम 7.5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—**

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 व "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा.

(सोलह) **उक्त अधिसूचना के नियम-12 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—**

निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना :— वित संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें अतः रुपए तीन लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी.

(सत्रह) **उक्त अधिसूचना के नियम-15 :—** विलोपित

(अट्ठारह) **उक्त अधिसूचना के नियम-15 के उपनियम 15.4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—** जिन वस्तुओं की निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसे यथासंभव ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जावे.

(उन्नीस) उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक/10610/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	शुक्लाखार प.ह.नं. 06	4.742	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक/10649/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	धवईपुर प.ह.नं. 09	1.120	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक/10651/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	हर्राभांठा प.ह.नं. 15	1.526	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक/10654/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	भेजीनारा प.ह.नं. 7	2.215	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	खोलारनाला स्टाप डेम क्र. 02 के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 4 अगस्त 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202107221800001अ/82 वर्ष 2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-मैनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उरमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	500	0.07
	501	0.02
	502	0.22
	503	0.28
	504	0.11
	516	0.11
	511/2	0.07
	511/3	0.09
	511/6	0.01
	514	0.18
	287	0.05
	515	0.20
योग	12	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उरमाल मोहेरा मार्ग पर पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात मलिक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक/10012/भू-अर्जन/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेलसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.801 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/2	0.008
21/1	0.057
20/3	0.024
21/3क	0.045
21/4	0.041
164/4	0.101
205/2	0.016
207/1	0.012
244/1	0.020
202/2	0.121
207/2	0.061
206/1	0.061
202/1	0.024
202/3	0.053
210/1	0.032
210/2	0.045
220/1	0.065
234/1	0.065
220/2	0.081
223/1	0.049
223/2	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
233	0.024	163/2, 164/3/क/2	0.040
223/3	0.069	163/3, 164/3/क/3	0.040
246	0.045	163/4, 164/3/क/4	0.040
240/3	0.016		
240/5	0.065	योग	1.801
241/2	0.012		
241/1	0.069		
399, 400/2	0.049		
242/2	0.012		
242/1	0.073		
403	0.024		
401/3	0.121		
212/1	0.049		
212/2	0.032		
401/2	0.016		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2022

प्रारूप–चार
(नियम 10 देखिये)

पुनर्गठित डोंगरगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्रमांक 1408/नग्रानि./पुन. डोंगरगढ़ नि.क्षे./राजनांदगांव/2022.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि पुनर्गठित डोंगरगढ़ निवेश क्षेत्र के ग्राम–चौथना व भर्रीटोला के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति —

1. कार्यालय संभागीय आयुक्त, संभाग दुर्ग (छ.ग.)
2. कलेक्टोरेट, जिला कलेक्टर, राजनांदगांव (छ.ग.)
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव, इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा विचार किया जायेगा.

FORM-IV
(See rule 10)

Notice inviting objections to existing land use map of Reconstituted Dongargarh Planning Area

No. 1408/T&CP/Rec. Dongargarh P.A./Rajnandgaon/2022.—Notice is hereby given that the existing land use map of Village Chauthna and Bharritola for Reconstituted Dongargarh Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection during office hours in the Offices of :—

1. Office of the Divisional Commissioner, Durg Division (C.G.)
2. Collectorate, District Collector, Rajnandgaon (C.G.)
3. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Regional Office Rajnandgaon (C.G.)
4. Office of the Nagar Palika Parisad, Dongargarh, District Rajnandgaon (C.G.)

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it shall be submitted in writing to the office of the Deputy Director, Town and Country Planning Rajnandgaon, (C.G.) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette for due consideration, will be considered by the Deputy Director, Town and Country Planning Rajnandgaon (C.G.).

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
उप-संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्रमांक 1471/खपराडीह/नग्रानि/2022.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूचि में विनिर्दिष्ट खपराडीह निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधित मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची
खपराडीह निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. **उत्तर में** :— ग्राम सेमराडीह, चण्डी एवं करही की उत्तरी सीमा तक.
2. **पश्चिम में** :— ग्राम करही एवं खपराडीह की पश्चिमी सीमा तक.
3. **दक्षिण में** :— ग्राम खपराडीह, सेमराडीह एवं भरूवाडीह की दक्षिणी सीमा तक.
4. **पूर्व में** :— ग्राम भरूवाडीह एवं सेमराडीह की पूर्वी सीमा तक.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2125.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/3694 दिनांक 30-09-2021 द्वारा श्री दुलीचंद बंजारे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला-धमतरी (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री दुलीचंद बंजारे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला-धमतरी (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री नीलम चन्द्राकर	अध्यक्ष
2.	श्री प्रमोद साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री बिसौहा साहू	सदस्य
4.	श्रीमती वीणा कोसरे	सदस्य
5.	श्रीमती विशाखा साहू	सदस्य
6.	श्री कोमल सिन्हा	सदस्य
7.	श्री हितेन्द्र केला (व्यापारी प्रतिनिधि)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2127.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5000 दिनांक 18-11-2019 द्वारा श्री वतन जाधव, कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र बेलरगांव कार्यालय नगरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नगरी जिला-धमतरी (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री वतन जाधव, कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र बेलरगांव कार्यालय नगरी के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नगरी जिला-धमतरी (छ.ग.) भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री हरिशचन्द्र साहू	अध्यक्ष
2.	श्री महेन्द्र धेनू सेवक	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	सदस्य
4.	श्री छेदप्रकाश कौशिल	सदस्य
5.	श्री पवन साहू	सदस्य
6.	श्रीमती हेमलता प्रजापति	सदस्य
7.	श्री सुरूजलाल कुंजाम	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2129.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/2300 दिनांक 31-07-2021 द्वारा श्री अश्वनी साहू, अध्यक्ष को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री अश्वनी साहू , अध्यक्ष के स्थान पर निम्नलिखित

व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री अश्विनी साहू	अध्यक्ष
2.	श्री शिवकुमार वर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री नोहर यादव	सदस्य
4.	श्री भक्तु राम गायकवाड़	सदस्य
5.	श्री तारकेश्वर चन्द्राकर	सदस्य
6.	श्रीमती लक्ष्मी यादव	सदस्य
7.	श्री संजय गर्ग (व्यापारी प्रतिनिधि)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2131.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6093 दिनांक 29-01-2022 द्वारा श्री रामसिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, जिला बालोद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री रामसिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर जिला बालोद के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री भोलाराम देशमुख	अध्यक्ष
2.	श्री बसंत सोनबेर	उपाध्यक्ष
3.	श्री नागेश देवांगन	सदस्य
4.	श्री भूपेश कुमार नायक	सदस्य
5.	श्रीमती ममता चन्द्राकर	सदस्य
6.	श्री चतुर सिंह तारम	सदस्य
7.	श्री हर्षित जैन (व्यापारी)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2133.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1975 दिनांक 13-06-2018 द्वारा श्री राजकुमार सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि बेमेतरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री राजकुमार सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि बेमेतरा के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री पुन्नीलाल पटेल	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कविता साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री दयासिंह वर्मा	सदस्य
4.	श्री ईश्वरी साहू	सदस्य
5.	श्री शिव बंजारे, बोरदेही	सदस्य
6.	श्री प्रितेश गिलड़ा	सदस्य
7.	कामता गायकवाड़	सदस्य

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3401.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-मौहापाली, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली	450/1	0.176
			450/2, 451	0.206
			441/1	0.053
			441/6	0.063
			427/5	0.004
			441/4	0.042
			441/7	0.031
			441/9	0.013
			441/3	0.036
			441/2	0.031
			429/3	0.004
			427/3	0.059
			441/5	0.039
			440/2	0.082
			440/3	0.012
			440/1	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			439/5	0.051
			439/4	0.03
			439/3	0.084
			439/1	0.153
			423/1	0.138
			430/7	0.098
			430/8	0.024
			299/2	0.025
			299/3	0.027
			428/3	0.066
			302/2, 426/2	0.040
			425	0.042
			423/2	0.139
			421	0.002
			304/4	0.113
			304/5 ग	0.087
			304/8 क	0.105
			304/9 ग	0.081
			304/9 ख	0.024
			304/10 ख	0.065
			304/10 क	0.045
			306/5	0.032
			307/2	0.005
			306/3	0.036
			306/1	0.021
			306/4	0.02
			306/2	0.028
			280	0.025
			279/6	0.162
			279/5	0.004
			268/7	0.042
			268/9	0.172
			268/25	0.061
			268/34	0.028
			268/3	0.156
			268/37	0.037
			271/1 घ	0.03
			271/1 ख	0.062
			271/3	0.152
			268/57	0.004
			422	0.002
			259/1 प/च	0.004
			271/1 क, 271/ च, 271/1 छ	0.061
			270/1	0.068
			270/2	0.034
			259/2घ	0.012
			268/10	0.083
			268/28	0.061

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			268/19	0.066
			268/8	0.066
			259/2 ख	0.005
			84/1	0.093
			84/2	0.086
			84/5	0.042
			85/2	0.070
			80/2	0.156
			85/3	0.004
			64	0.115
			85/1	0.036
			63/1	0.056
			63/2	0.053
			60/2	0.004
			61/2	0.007
			12/23	0.105
			12/24	0.105
			59/4	0.116
			14/2	0.136
			15/2	0.096
			16	0.143
			14/3	0.157
			14/1	0.082
			62	0.071
			60/1	0.040
		कुलयोग	**93**	**5.632**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3403.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-चन्द्रपुर, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चन्द्रपुर	23	0.218
			22	0.195
			25/1	0.040
			32/2	0.016
			31/2	0.142
			30	0.101
			31/1, 31/3, 31/4	0.124
			32/7, 32/8	0.037
			18/2	0.028
			32/3	0.101
			17	0.020
			36/1, 36/2	0.126
			15/1, 15/2	0.183
			14	0.028
			40	0.041
			42	0.063
			44/1	0.266
			41/1, 41/2, 43	0.040
			67/1	0.062
			67/2	0.101
			66/2	0.131
			65/1	0.063
			65/2	0.063
			65/3	0.057
			64	0.192
			59, 62	0.465
			58	0.207
			57/2	0.044
			57/1	0.076
			303/1	0.013
			304/2	0.061
			389/2	0.106
			389/3	0.116
			304/3	0.061
			388/1	0.048
			388/2	0.147
			393/2	0.048
			393/3	0.049
			393/4	0.045

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			392	0.02
			396/1	0.071
			737	0.315
			735/3	0.291
			1	0.072
		कुल योग	**51**	**4.693**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3405.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-गोपालपुर, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर	158	0.008
			157/4	0.058
			157/1	0.038
			163/13	0.168
			167	0.120
			136/5	0.140
			136/1	0.153

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			163/16	0.008
			132/7	0.066
			138/1	0.135
			131/8	0.108
			137/5	0.045
			131/3	0.090
			131/5	0.178
			131/11	0.027
			131/10	0.027
			131/9	0.027
			121	0.045
			124	0.153
			136/9	0.036
			136/8	0.036
			136/11	0.042
			136/10	0.042
			122	0.030
		कुल योग	**24**	**1.780**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3407.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-कोसमंदा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोसमंदा	123/3, 130	0.074
			123/1	0.086
			123/2	0.170
			124	0.048
			101/23 क	0.136
			101/22 क	0.034
			101/19 क	0.124
			101/18 क	0.019
			101/17 क	0.006
			101/20 क	0.054
			125/3, 126/3	0.008
		कुल योग	**13**	**0.759**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3409.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-बरहागुड़ा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरहागुड़ा	228/1	0.142
			227/1	0.093
			230/3	0.032
			227/2	0.126
			228/2	0.143
			229/2	0.207
			231	0.036
		कुल योग	**7**	**0.779**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3411.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-कांशीडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह	873/1	0.150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			823/1	0.159
			839/3	0.087
			823/3, 474, 475	0.240
			820/2	0.004
			822	0.057
			820/1	0.090
			820/7	0.070
			820/3 ख	0.110
			820/3 क	0.050
			819	0.069
			886/4	0.049
			813/1	0.108
			888/3	0.041
			810/1	0.225
			889/1	0.067
			806	0.105
			889/4	0.114
			889/2	0.013
			805	0.272
			691	0.207
			688	0.165
			687	0.045
			621	0.195
			622/4	0.141
			622/1	0.039
			625/1	0.285
			626/1	0.228
			160/2	0.071
			161, 162	0.081
			94/1	0.273
			94/3, 156/2, 157/2	0.120
			95	0.180
			94/2	0.075
			96/4	0.102
			92	0.018
			15/2	0.126
			91/1	0.054
			96/3	0.108
			83/1	0.135
			79/3, 80/3	0.101
			81	0.055
			79/5, 80/5	0.008
			73	0.033
			74	0.121
			72/1	0.112
			63	0.025
			61	0.135

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			75	0.016
			62	0.024
			41/2	0.104
			39/4	0.016
			40/2	0.123
			40/3	0.028
			38/1	0.114
			38/2	0.114
			33	0.174
			34/1	0.105
			34/2	0.105
			16/2	0.016
			8/1	0.243
			16/3	0.055
			15/3	0.036
			16/1	0.072
			15/1	0.028
			7/1	0.15
			10	0.020
			934	0.120
			873/8	0.055
			873/33	0.092
			873/12	0.009
			873/15	0.110
		कुल योग	**79**	**7.247**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3413.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-हीरापुर, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हीरापुर	73/1	0.112
			73/2	0.083
			75	0.070
			76/1	0.018
			74	0.258
			80/2	0.028
			81/1	0.092
			82/2	0.111
			82/1	0.290
			83/2	0.162
			133/2	0.059
			133/3	0.145
			212/2	0.028
			212/1	0.153
			210/1	0.216
			186/1	0.02
			134/2	0.013
			144/2	0.146
			144/3	0.049
			145/2	0.129
			145/1	0.004
			140	0.036
			185	0.135
			146/3	0.182
			146/2	0.050
			188, 190, 192, 269	0.270
			189	0.008
			166/6	0.053
			146/1	0.091
			187/2	0.156
			181/2	0.012
		कुल योग	**34**	**3.179**

दिव्या अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2022

क्रमांक 257/स्थापना/रा.मं./2022.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 68/स्थापना/रा.मं./2020 बिलासपुर दिनांक 12-02-2020 को अधिक्रमित करते हुये प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किये जाते हैं :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा-7 के अंतर्गत अंतर्निहीत शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण :—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	**बिलासपुर संभाग —** जिला-बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती. **रायपुर संभाग —** जिला-रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद. **बस्तर संभाग —** जिला-कांकेर
2.	सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	**सरगुजा संभाग —** जिला-सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. **दुर्ग संभाग —** जिला-दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी. **बस्तर संभाग —** जिला-बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, समय-समय पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य प्रकरण.

(स) आबकारी अधिनियम एवं स्टांप शुल्क अधिनियम से संबंधित लंबित एवं नये प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के द्वारा की जाएगी.

(द) **स्थगन आवेदन पत्र—**

अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी—

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालीय अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)
2.	सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)

(इ) न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जावेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात के होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई किया जा सकता है.

(उ) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है :—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	1. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यत: प्रथम एवं तृतीय बुधवार, गुरुवार. 2. सर्किट कोर्ट रायपुर, सामान्यत: द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार, मंगलवार, बुधवार.
2.	सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	1. सर्किट कोर्ट रायपुर, सामान्यत: द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार, मंगलवार, बुधवार. 2. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यत: प्रथम एवं तृतीय बुधवार, गुरूवार. 3. सर्किट कोर्ट, जगदलपुर (बस्तर) प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह के गुरूवार, शुक्रवार.

(ऊ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी.

(ए) उपरोक्त न्यायालयीन दिवसों संबंधी व्यवस्था में किसी बात के होने के बावजूद भी न्यायहित में यदि आवश्यक हो तो शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd August 2022

No. 1058/Confdl./2022/II-2-1/2022.— The following Member of Higher Juducial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicil Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Siddharth Aggarwal, Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	III Additional District District and Sessions Judge.

Bilaspur, the 2nd September 2022

No. 1074/Confdl./2022/II-3-14/2000 (Part-IV).— On the application of Dr. Mamta Bhojwani, II Additional District and Sessions Judge, Sakti, she is hereby permitted to incorporate the name of her husband Shri Rahul Parihar S/o Shri Prakash Parihar in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By the order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक 196/दो-2-32/2015.—श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान, तत्कालीन न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ वर्तमान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09-06-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट अधिकारी.